

**VIDHAN SABHA QUESTION**  
**IMMEDIATE/OUT TODAY**

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS**  
**K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**  
**(POLICY BRANCH)**

No. F.2(17)/DLA/MS/P&C/F&S/2017/536

Dated: 8/8/17

To

The Dy. Secretary (Question Branch)  
Delhi Legislative Assembly  
Old Secretariat, Delhi-54

Sub: Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 117 asked by  
Sh.Pankaj Pushkar, MLA due for answer on 09.08.2017.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above stated question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

  
(R.K. SAXENA)  
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

Encl:As above.

No. F.2(17)/DLA/MS/P&C/F&S/2017

Dated:

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

  
(R.K. SAXENA)  
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
 खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (नीति शाखा)  
 के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट,  
 नई दिल्ली - 110002

अवधारित प्रश्न संख्या :-117  
 दिनांक :-09/08/2017  
 प्रश्नकर्ता का नाम :-श्री पंकज पुंकर  
 क्या उपसूच्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गोदाम से दूकान तक राशन लाने वाली गाड़ियाँ में जीपीएस लगाना अनिवार्य है,	जी नहीं।
(ख) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान में दिल्ली में गोदाम से दूकान तक राशन पहुँचाने वाली गाड़ियाँ में जीपीएस लगा है,	जी नहीं।
(ग) क्या यह सत्य है कि गोदाम से दूकान तक राशन पहुँचाने का काम ठेके पर कराया जा रहा है; और	जी हाँ।
(घ) यदि हाँ तो इन गाड़ियों से राशन बोरी खाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?	बोरी ही राशन दूकान पर पहुँचाना है भारत सरकार द्वारा निकाली सफाई ब्रेन पीटल द्वारा सभी दूकानदारों तथा काले छात्रियों को एसएमएस (SMS) द्वारा राशन की उपलब्धता के बारे में सूचना दी जाती है ताकि वे अपना राशन समय पर ले लें। खाद्य एवं सभरणा विभाग की एनकाउंटेड शाखा समय समय पर राशन की बोरी करने वाली गाड़ियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करती है।

117

K. R. MEENA, I.A.S.  
 Secretary-Cum-Commissioner  
 Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs  
 Govt. of N.C.T. of Delhi  
 K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,  
 New Delhi-110002